भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4235
जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

क्षेत्रीय भाषाओं में मामलों की सुनवाई

4235. श्री के. सी. वेणुगोपाल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश भर के विभिन्न उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी भाषा का मुख्य रूप से उपयोग किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का विभिन्न उच्च न्यायालयों में मामलों की सुनवाई में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को क्षेत्रीय भाषाओं में मामलों की सुनवाई करने के संबंध में कुछ राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ) : भारत के संविधान का अनुच्छेद 348(1)(क) उपबंध करता है कि उच्चतम न्यायालय में और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां, अंग्रेजी भाषा में होगी । भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 का खंड (2) उपबंध करता है कि खंड (1) के उपखंड (क) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा ।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 उपबंध करती है कि किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त, हिन्दी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और जहां कोई निर्णय, डिक्री या आदेश (अंग्रेजी भाषा से भिन्न) ऐसी किसी भाषा में पारित किया या दिया जाता है, वहां उसके साथ-साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा ।

मंत्रिमंडल समिति के तारीख 21.05.1965 के निर्णय में यह निर्धारित है कि उच्च न्यायालय में अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी भाषा के प्रयोग से संबंधित किसी भी प्रस्ताव पर भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति प्राप्त की जाएगी ।

राजस्थान उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी के प्रयोग को संविधान के अनुच्छेद 348(2) के अधीन वर्ष 1950 में प्राधिकृत किया गया था । यथा उपरोक्त उल्लेखित मंत्रिमंडल समिति के तारीख 21.05.1965 के निर्णय के पश्चात्, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उत्तर प्रदेश (1969), मध्य प्रदेश (1971) और बिहार (1972) के उच्च न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग को प्राधिकृत किया गया था ।

भारत सरकार को तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल और कर्नाटक की सरकारों से मद्रास उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय और कर्नाटक उच्च न्यायालय की कार्यवाही में क्रमशः तमिल, गुजराती, हिंदी, बंगाली और कन्नड़ भाषा का प्रयोग करने की अनुमति देने के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे । वर्ष 1965 में मंत्रिमंडल समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार इन प्रस्तावों पर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह मांगी गई थी और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने तारीख 16.10.2012 के अपने अ.शा. पत्र द्वारा सूचित किया कि पूर्ण न्यायालय ने तारीख 11.10.2012 को आयोजित अपनी बैठक में, उचित विचार-विमर्श के बाद, प्रस्तावों को स्वीकार न करने का निर्णय लिया है ।

तमिलनाडु सरकार के एक अन्य अनुरोध के आधार पर, सरकार ने जुलाई 2014 में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से इस संबंध में पहले के निर्णयों की समीक्षा करने और भारत के उच्चतम न्यायालय की सहमति से अवगत कराने का अनुरोध किया । मुख्य न्यायमूर्ति ने तारीख 18.01.2016 के पत्र में बताया कि पूर्ण न्यायालय ने, व्यापक विचार-विमर्श के बाद, सर्वसम्मति से यह संकल्प किया कि प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

****